

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्र संख्या-168/ग्रा0अ0वि0/टेके0पंजी0-41/कनि0सहा0-1/18-19, दिनांक 18/8/2018

पंजीकरण संख्या- 334/ श्रेणी-'A'-भवन एवं मार्ग/2018

:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा के पत्र संख्या-172 दिनांक- 17-05-2018 से प्राप्त मैसर्स महाबीर इन्टरप्राइजेज, प्रो0 मनोज कुमार, के "A" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स महाबीर इन्टरप्राइजेज, प्रो0 मनोज कुमार, निवासी-252, किशनगंज आगरा गेट, जिला फिरोजाबाद को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भवन एवं मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'A' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।


नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)
मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)
मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)
मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- मैसर्स महाबीर इन्टरप्राइजेज, प्रो0 मनोज कुमार, निवासी-252, किशनगंज आगरा गेट, जिला फिरोजाबाद (मो0न09837817106) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।



अभि.नं. (90)
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता(प0क्षे0)
मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)
मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)